A1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 06/11

रामू राम उर्फ रामा पुत्र श्री भोमाराम जाति नायक जरिये मुखत्यारेआम देवा राम पुत्र श्री रामू राम जाति नायक निवासी 73 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

1. किशनाराम पुत्र श्री भोमाराम } अकवाम नायक सकनाए 73 एन पी तहसील
2. बम्पा पुत्री श्री भोमाराम } रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. सरदारी पत्नी श्री चन्दूराम जाति नायक निवासी 16 बी बी तहसील पदमपुर।
4. रतन लाल
5. चेतन
6. सुखदेव
7. चरणराम
8. भैरा राम
9. रेवन्तराम
10. राहू

पिसरान श्री जमना पुत्री श्री भोमाराम अकवाम नायक सकनाए 73 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

11. भंवरी पुत्री श्रीजमनाराम जाति नायक निवासी 73 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर।
12. भंवरा राम
13. चन्दूराम
14. लूणाराम

पिसरान श्री मूलाराम अकवाम नायक सकनाए संगतपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1. श्री मोहन लाल माहर , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री राजाराम बिश्नोई, अधिवक्ता, रेस्पो. सं0 1 से 12 व 14
3. श्री जसराम टॉक , अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 13
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 15

आदेश

दिनांक : 06–07–17

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं रेस्पो0 सं0 1 ता 3 के पिता तथा 4 ता 13 के नाना के नाम वाके चक 73 एन पी के मु0 नं0 35 के कि0 नं0 1 ता 25 में 6.074 है0 व मु0 नं0 36 में 3.137 है0 कुल 9.111 है0 आराजी खातेदारी दर्ज थी। पिता/नाना भोमाराम की दिनांक 27–5–91 को मृत्यु हो गई थी। मृत्यू के करीब 10 वर्ष बाद रेस्पो0 सं0 1 ने झूठी एवं फर्जी अपंजीकृत वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर बिना भोमाराम के वारिसान को तलब किये तथा बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इंतकाल फिसकल कार्यवाही है, जिससे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। वसीयत के दो गवाहान कमशः सूरताराम व शंकरसिंह हैं, में से

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

शंकरसिंह ने दिनांक 29–6–10 को शपथ पर बयान किया है कि वह भोला भाला है और किशनाराम रेस्पो0 सं0 1 के विश्वास के कारण सफेद कागज पर अगूँठा लगा दिया है। वसीयत की लिखापढ़ी उसके सामने नहीं हुई है। विवादित आराजी में अपीलार्थी एवं रेस्पो0 सं0 1 का आधा हिस्सा पर काश्त कर रहे हैं। अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पो0 सं0 1 जब मु0 नं0 35 की 25–00 बीघा आराजी का कब्जा लेना चाहा तो अपीलार्थी ने तहसील कार्यालय में रेकार्ड की जॉच की तो अपीलाधीन आदेश का पता चला। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–10–2010 को पारित आदेश के खिलाफ अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की जॉच नहीं की गई है। भोमाराम के वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब नहीं किया गया है और न ही मौके की रिपोर्ट ली गई है।गैरखातेदारी भूमि का इंतकाल नहीं हो सकता है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर.आर.टी 2009 (1) पेज 900 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नहीं हो सकती है। वसीयत के गवाह शंकरा ने अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र पर यह कथन किया है कि वसीयत उसके सामने नहीं लिखी गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किशनाराम उपस्थित नहीं हुआ है। अपने उपरोक्त तर्को के समर्थन में आर.आर.टी 2005(1) पेज 630, आर.आर. टी. 2009 (2) पेज 988 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। वसीयत के समय रकबा गैरखातेदारी था। दिनांक 17–11–2009 को रकबा खातेदारी हुआ है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि वसीयत रामूराम व किशनराम के पक्ष में हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किशनाराम हाजिर हो गया था। अपीलाधीन इंतकाल विवादित है इसलिए हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। वसीयत को प्रूव करवाने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये थी। वसीयत के गवाहान द्वारा शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये हैं। शंकरा गवाह ने दो शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। पहले शपथ पत्र में वसीयत का सत्यापन किया है जबकि दूसरे शपथ पत्र में इंकार किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने के कारण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील खारिज की जानी चाहिये।

जवाब में अपीलांट के अधिवक्ता ने कहा कि अविवादित इंतकाल की अपील धारा 135(1) के अन्तर्गत है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। हस्तगत अपील में इंतकाल अविवादित है इसलिए सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किशनाराम उपस्थित नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 18–10–10 दोनों पक्षों को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सुनकर पारित किया गया है इसलिए हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। इसके खण्डन में वकील अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट रामूराम उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय है। हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इसी न्यायालय को है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–10–10 को तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पो0 सं0 1 किशनाराम ने प्रार्थना पत्र दिनांक 18–5–10 को प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने की प्रार्थना की थी। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी उसी रोज प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद अपीलांट रामूराम ने दिनांक 21–06–10 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वसीयत के आधार पर इन्तकाल **दर्ज न किया जावे।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 18–6–10 के अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित सार्वजनिक आपति का सूचना पत्र की प्रति, सुखराम, शंकर राम एवं किशनाराम के शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज पेश किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित हो गए हैं और एक पक्ष द्वारा आक्षेप कर देने से अपीलाधीन **इंतकाल विवादित हो गया है।** इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल के विवादित हो जाने के कारण अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 135(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय को नहीं है।

मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आर बी जे (4)1997 पेज 198 में अभिनिर्धारित किया है कि Rajasthan Land Revenue Act 1956 - Section 135[2] In Case of Disputed Mutation- Appeal will lie before the Commissioner.

शासन के परिपत्र सं0 एफ 6 (21) रेवेन्यू/ जीआर /4/ 87/ 29 जीएसआर/60 दिनांक 20–6–87 द्वारा डायरेक्टर लैण्ड रिकार्ड की शक्तियॉ माननीय संभागीय आयुक्त को है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 के संबंध में दया भारती बनाम दया भारती 1989 आरआरडी 266 में पेज सं0 462 पर अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

Mutation Appeal - Order of Tehsildar under S. 135[2] of the act is deciding **contested case** of Mutation. Appeal lie to Director, Land Recotds and not to Collector & R.A.A.

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आक्षेप के संदर्भ में दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है जो धारा 135(2) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की परिधि में होने से हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 06–07–17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।